



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 29.03.2023

प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 60,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई-

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 18.12.2015 को थाना जरिया, जनपद- हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 1153/15 अन्तर्गत धारा 302 201 आईपीसी में नामजद अभियुक्त 1) अनिल पुत्र करतार निवासी अतरौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 60,000 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा दिलाई।